न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(10)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3967/2018/इंदौर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 26.04.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 219/अपील/2014-15.

श्रीमती इन्द्राबाई पत्नी गोपाल कसेरा
निवासीगण 350, महात्मागांधी मार्ग, इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

1. महेश पुत्र मोतीलाल कसेरा
2. गोविन्द पुत्र मोतीलाल कसेरा
3. कसेरा पुत्र मोतीलाल कसेरा
4. अनिल पुत्र मोतीलाल कसेरा
5. सुनील पुत्र मोतीलाल कसेरा
6. मोहनलाल पुत्र मोतीलाल कसेरा

समस्त निवासी 314, महात्मागांधी मार्ग, इंदौर .....अनावेदकगण

श्री रामसेवक शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 26.04.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार, तहसील हातोद के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका ग्राम बडा बांगडदा स्थित कृषि भूमि सर्वे क्र. 41/5 रकबा 0.850 हैक्टेयर एवं सर्वे क्र. 41/3 रकबा 0.353 हैक्टेयर कुल रकबा 1.103 हैक्टेयर की आधिपत्यधारी होकर उक्त भूमि पर

काश्त करती चली आ रही है। आवेदिका के ससुर के नाम से कृषि भूमि का एक खाता बडा बांगडदाक में सर्वे क्र. 41/5 एवं सर्वे क्र. 41/3 कुल रकबा 1.103 हैक्टेयर की स्थित है। आवेदिका के ससुर का स्वर्गवास दिनांक 20.05.2009 हो गया है और उनके वैध वारिसान में आवेदिका है। मृतक मोतीलाल के जीवनकाल में आवेदिका द्वारा अच्छे से सेवा चाकरी की थी, जिससे प्रसन्न होकर मोतीलाल ने अपने जीवनकाल में ही स्वेच्छा से गवाहों के समक्ष नोटरी से वसीयत आवेदिका के हित में निष्पादित करवाई थी, इसलिये उक्त खाते पर आवेदिका अपनी स्वेच्छानुसार एवं वसीयत के अनुसार अपना नामांतरण कराने का अधिकारी है। आवेदिका मोतीलाल की पुत्रवधू होकर वैध वारिसान है और न ही किसी अन्य को कोई आपत्ति है। अत: आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदिका का नामांतरण प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में स्वीकार किया जाये एवं मोतीलाल कसेरा का नाम कम किया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 12.9.2014 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नामांतरण स्वीकार किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व हातोद के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2015 से निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26.04.2018 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि मोतीलाल के आधिपत्य व स्वामित्व की थी। भूमिस्वामी स्व. मोतीलाल आवेदिका का ससुर है और आवेदिका की सेवा से सुश्रवा से प्रसन्न होकर भूमिस्वामी स्व. मोतीलाल द्वारा आवेदिका के पक्ष में नोटरी से वसीयत निष्पादित की गई थी, जिसके आधार पर आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर वसीयत सिद्ध होने पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका का नाम दर्ज किया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक पक्ष अपना हिस्सा प्राप्त कर चुके थे। अत: तहसील न्यायालय के समक्ष उनकी सहमति से तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका के पक्ष में आदेश पारित किया था। तहसील न्यायालय के आदेश को विधिसंगत होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यथावत रखा गया। इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, किंतु अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख का अवलोकन किये, प्रकरण में आई साक्ष्य का परिशीलन किये बिना समवर्ती

निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में त्रुटि की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा पुनर्विलोकन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा भूल की गई है। यह भी कहा गया कि भूमिस्वामी की मृत्यु वर्ष 2009 में हुई है, किंतु अनावेदक पक्ष द्वारा वर्ष 2009 से दिनांक 12.09.2014 तक कोई आपत्ति नहीं की गई है। इस आधार पर कहा गया कि कानून सोने वाले व्यक्ति की सहायता नहीं करता। तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयत साक्ष्य से सिद्ध किया गया है, जिस पर अनावेदक पक्ष की कोई आपत्ति नहीं है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि यदि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में स्थगन दिया है, तब भी प्रकरण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुए अपर आयुक्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका ने अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 26.04.2018 का पुनर्विलोकन चाहा गया था, जिसे अपर आयुक्त द्वारा निरस्त किया गया है। अत: आवेदिका को पुनर्विलोकन में चुनौती देना चाहिए था, किंतु उनके द्वारा पुनर्विलोकन में पारित आदेश को चुनौती नहीं देकर नये सिरे से निगरानी प्रस्तुत की है। यह भी कहा गया कि पुनर्विलोकन में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि पुनर्विलोकन में पारित आदेश अंतिम आदेश है। तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण की ओर से पक्षकार नहीं बनाया है और न ही कोई सूचना दी गई है, जबकि नामांतरण नियम 27 के अंतर्गत व्यक्तिगत सूचना दिया जाना आवश्यक है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत को विधिवत साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदिका के पक्ष में नामांतरण किये जाने में अनावेदकगण की कोई सहमति नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदकगण का वाद प्रथम दृष्टया पाया गया है और उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि दो आदेशों के विरूद्ध एक निगरानी प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त ने विधिसंगत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा तर्कों के समर्थन में 1989 आर.एन. 39 व 472 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुए निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मोतीलाल की मृत्यु के बाद वसीयत पर तहसील न्यायालय में नामांतरण हुआ। मोतीलाल के 9 पुत्र एवं 2 पुत्रियां थीं, लेकिन तहसीलदार ने सभी वारिसों को ना तो सूचना दी और ना ही पक्षकार बनाया। इसी कारण वसीयत के गवाहों का प्रतिपरीक्षण भी नहीं हुआ है। यद्यपि अपर आयुक्त ने भी प्रकरण में यही सब आधार उठाये हैं, तथापि उन्हें उचित जांच-पड़ताल तथा सभी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के लिये प्रकरण प्रत्यावर्तित करना था, किंतु अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित न कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह प्रकरण में उचित जांच-पड़ताल कर तथा सभी पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः आदेश पारित करे।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2018 निरस्त किया जाता है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण तहसीलदार, तहसील हातोद की ओर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर